in respect of items (i) and (ii) above continues.

A separate post of Security Officer for Government of India Press, Ring Road, New Delhi, exists.

Rules Regarding Construction of Multi-storeyed Buildings in Delhi

190. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether any rules and regulations have been laid down for the construction of tall and multi-storey buildings in Delhi ;

(b) whether there is any limit to the number of storeys to be built in a building ;

(c) whether the rules and regulations mentioned in "a" above contain any safegards to be taken against fire risks ; and

(d) whether there is any machinery to see that the above rules and regulations are strictly observed by the builders ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) to (d). The information is being gathered and will be placed on the Table of the Sabha.

यमुनापार की नियमित कालोनियों में बिजली तथा पानी की सप्लाई

191. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में अब तक 170 कालोनियों को नियमित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कालोनियों में अब तक बिजली तथा पानी की सप्लाई के प्रबन्ध नहीं किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसने दिल्ली के जमुनापार क्षेत्र में 168 कालोनियों को नियमित किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी दिल्ली के जमुनापार क्षेत्र में कई कालोनियां नियमित की हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण व दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिये गए हैं कि नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधायें मुहैया कराई जाएं और ऐसी कौलोनियों के निवासी निर्धारित विकास प्रभारों के भुगतान तथा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर जल पूर्ति विद्युत आदि की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

वर्ष 1983-84 में मकानों के निर्माण हेतु केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले प्लाट

192. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में मकानों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने परिवारों को प्लाट तथा सहायता प्रदान की जाएगी ;

(ख) क्या उक्त प्लाट उन्हें स्थायी रूप से दे दिए गए हैं और क्या उनसे सहायता की राशि वापस नहीं ली जाएगी ;

(ग) क्या उन्हें दी गई सहायता राशि पर ब्याज भी लिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ब्याज लिया जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?